न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्या 26/2019 जिला सीकर ।

करतार सिंह पुत्र कानाराम मीणा निवासी ग्राम कांवट तह0 खण्डेला जिला सीकर राजस्थान हाल निवासी प्लाट नं0 239 विवेक विहार जगतपुरा तह0 सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान।

अपीलान्ट्

बनाम

1. जगमाल सिंह पुत्र कानाराम मीणा निवासी ग्राम कांवट तह0 खण्डेला जिला सीकर राजस्थान हाल निवासी 302 प्राग निकेतन जूहू स्कीम अंधेरी वेस्ट मुम्बई महाराष्ट्र।
2. प्रभूदयाल पुत्र कानाराम मीणा, निवासी ग्राम कांवट, तह0 खण्डेला जिला सीकर राजस्थान हाल निवासी ब्लॉक नं0 14 शिव शक्ति नगर, जगतपुरा तह0 सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान।
3. संतोष पत्नि कानाराम मीणा, निवासी ग्राम भगेरा तह0 नवलगढ जिला झुंझुनू राजस्थान

रेस्पोडेंटस

4. तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर राजस्थान।

तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर दिनांक 24.06.2019 प्रकरण संख्या 1/2016 अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट् श्री सुबोध कुमार जैन।
2. वकील रेस्पोडेंट्स श्री अरविन्द पारिक।

निर्णय

दिनांक–24.03.2021

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर के निर्णय दिनांक 24.06.2019 के खिलाफ दिनांक 26.07.2019 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 266/1 रकबा 1.01 है0, खसरा नम्बर 276/1 रकबा 1.01 है0 किता 2 रकबा 2.02 है0 वाके ग्राम पीथमपुरी तह0 नीमकाथाना जिला सीकर के काबिज खातेदार काश्तकार सन्तरा देवी पत्नि झाबरमल, ग्यारसीलाल, रमेश कुमार, सुरेश कुमार , कैलाश कुमार , विजय कुमार पुत्रगण झाबरमल जाति महाजन निवासी कांवट के नाम दर्ज थी जो जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.10.1989 को केता कानाराम पुत्र चन्दाराम जाति मीणा निवासी लूनियावास जिला जयपुर को विक्रय कर दिया गया। विक्रय पत्र के क्रम में पटवारी हल्का पीथमपुरी द्वारा नामान्तकरण संख्या 1802 दर्ज कर ग्राम पंचायत पीथमपुरी के समक्ष पेश किया जिसे ग्राम पंचायत पीथमपुरी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर द्वारा दिनांक 20.10.1991 से निरस्त फरमा दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट् ने अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर में प्रस्तुत की गई। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा शीर्षक अपील करतार सिंह बनाम भूमिधारी में निर्णय दिनांक 26.07.2016 के द्वारा स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 1802 ग्राम पंचायत पीथमपुरी आदेश 20.10.1991 निरस्त फरमाया गया तथा अधीनस्थ तहसीलदार नीमकाथाना को रिमांड किया गया।
3. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 26.07.2016 की अनुपालना में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर ने निर्णय दिनांक 24.06.2019 के द्वारा ग्राम पीथमपुरी तहसील नीमकाथाना स्थित पुराने खसरा नम्बर 266/1 रकबा 1.01 है., 276/1 रकबा 1.01 है0 का नामान्तकरण मुताबिक विक्रय विलेख दिनांक 16.10.1989 के केता कानाराम पुत्र चन्दाराम जाति मीणा के फौत हो जाने से विधिक वारिसान करतार सिंह, जगमाल सिंह, प्रभूदयाल पुत्र कानाराम, संतोष पुत्री कानाराम जाति मीणा हिस्सा बराबर के नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया गया।

Scanned by CamScanner

4. न्यायालय तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर के उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.06.2019 से व्यथित होकर अपीलान्ट् द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट् स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय न्यायालय तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर दिनांक 24.06.2019 को निरस्त कर वसीयत के अनुरूप अपीलांट् के नाम नामान्तकरण तस्दीक किये जाने के आदेश जारी किये जाने की प्रार्थना की।

5. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

6. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि तहसील नीमकाथाना के ग्राम पीथमपुरी के खसरा नम्बर 266/1 व 276/1 हाल खसरा नम्बर 468, 469 व 471 रकबा 2.02 है0 अपीलार्थी के पिता श्री कानाराम पुत्र चन्दाराम ने दिनांक 16.10.1989 को क्रय की थी। जिसका दर्ज नामान्तकरण संख्या 1802 को ग्राम पंचायत पीथमपुरी ने अपने निर्णय दिनांक 20.10.1991 के द्वारा खारिज कर दिया गया। इसकी अपील प्रार्थी/अपीलांट द्वारा उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना को की गई। जिसे दिनांक 26.07.2016 को निर्णय पारित कर ग्राम पंचायत पीथमपुरी के निर्णय दिनांक 20.10.1991 को निरस्त कर तहसीलदार नीमकाथाना को विरासत का नामान्तकरण दर्ज करने बाबत निर्देशित किया। तहसीलदार नीमकाथना के समक्ष अपीलार्थी ने उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना के निर्णय दिनांक 26.07.2016 पेश कर विरासत नामान्तकरण दर्ज करने एवं अपने पिता द्वारा सम्पादित वसीयत के अनुसार उक्त भूमि का नामान्तकरण दर्ज कराने की प्रार्थना की जिसे तहसीलदार नीमकाथाना ने अपने निर्णय दिनांक 24.06.2019 को नामंजूर कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय में वसीयत के दोनो गवाहो ने दिनांक 05.10.2016 को उपस्थित होकर बयान दर्ज कराये जिसमें उन्होने जाहिर किया कि प्रस्तुत वसीयत उनके सामने दिनांक 25.05.2003 को श्री कानाराम द्वारा अपने पुत्र श्री करतार सिंह के नाम सम्पादित की जिसमें उनके हस्ताक्षर होना प्रकट किया। वसीयत दस्तावेज के हस्ताक्षर पहचान हेतु व वसीयतकर्ता की मर्जी को दर्शाने के लिये पंजीकृत दस्तावेज मुख्तयारनामा दिनांक 12.07.1993 एवं दिनांक 10.12.2003 को हस्ताक्षर मिलान व उसमे अपने पुत्र करतारसिंह व उसके परिवार के पक्ष में सम्पति को प्रदान करने की उत्कन्ठा जाहिर होने का साक्ष्य मिलता हैं। उक्त साक्ष्य होने पर प्रश्नगत निर्णय में पीठासीन अधिकारी ने वसीयत को स्वीकार नही किया, ना ही उन्होने स्पष्ट निर्णय दिया। वसीयत अन्तिम थी क्योकि निर्णय के पृष्ट संख्या 3 के अन्तिम पैरा में दिनांक 03.06.1996 के द्वारा निरस्त दस्तावेज दिनांक 12.03.1993 अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मुख्तयारनामा को अन्य वसीयत समझते हुये गलत धारण कायम कर गलत तथ्यो की परिकल्पना करते हुये अन्य वसीयत का वजूद परिकल्पित कर लिया गया जबकि प्रकरण में प्रस्तुत वसीयत के अलावा ना कोई वसीयत किसी अन्य पक्षकार द्वारा प्रस्तुत नही की गई ना ही अन्य किसी वसीयत का वजूद है। दिनांक 15.02.2019 को सभी अप्रार्थीगणो/रेस्पोडेंटस ने मेरे प्रार्थना पत्र से सहमति जताते हुये पिताजी की वसीयत के अनुसार हक स्वीकार किया व प्रस्तुत प्रकरण में अपने विरोध को विड्रा करते हुये सहमति पत्र पेश किया जिसे अपने निर्णय में पीठासीन अधिकारी द्वारा नही लिया गया। जहां तक वसीयत का फर्जी हस्ताक्षर होना व जाली होना निर्णय तहसीलदार में अप्रार्थीयो का बयानो में जाहिर आया है उसके संबंध में यह भी पूर्णत: स्थापित है कि किसी वसीयत को सिविल न्यायालय ही अवैध करार दे सकता है। अत: अपील अपीलांट् स्वीकार फरमाई जाकर प्रश्नगत आदेश तहसीलदार नीमकाथाना दिनांक 24.06.2019 निरस्त कर वसीयत के अनुरूप अपीलार्थी के नाम नामान्तकरंण तस्दीक किये जाने के आदेश फरमाया जावे।

7. रेस्पोडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने अपील के तथ्यो को अस्वीकार करते हुये कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर द्वारा विधिक प्रकिया अपनाते हुये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.06.2019 पारित किया है। जिसमें कोई त्रुटि नही है। अत: अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

8. पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस का मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूवक अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वसीयतनामा के आधार पर नामान्तकरण दर्ज करने की प्रार्थना को अस्वीकार करते हुये मृतक कानाराम के विधिक वारिसान के नाम नामान्तकरण तस्दीक किये जाने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश के पैरा

Scanned by CamScanner

10 में वर्णित किया है कि "प्रश्नगत वसीयत पर अंकित गवाहान 1. सोमनाथ पुत्र घासीलाल मीणा निवासी जगतपुरा, जयपुर, 2. रामस्वरूप पुत्र सुण्डाराम निवासी गढ बस्ती, जयपुर के बयान लिये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। गवाहान ने अपने बयानात में स्वयं के समक्ष दिनांक 25 मई 2003 को वसीयतकर्ता द्वारा पूर्ण होश हवास में वसीयत करना एवं बतौर गवाह हस्ताक्षर किया जाना स्वीकार किया है।" अपीलाधीन आदेश के पैरा संख्या 18 में यह उल्लेख किया है कि अप्रार्थीगण/रेस्पोडेंट्स जगमालसिंह, प्रभूदयाल व संतोष द्वारा वसीयत के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेंतु लिखित सहमति पत्र दिया है परन्तु उस पर पीठासीन अधिकारी का कोई पृष्ठांकन अंकित नही है परन्तु उक्त पत्र पर ताराचन्द मीणा हाल नायब तहसीलदार नीमकाथाना के प्रति हस्ताक्षर अंकित है। उक्त आदेश के पैरा 20(1) में अंकित है कि प्रश्नगत भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा क्रय होने से क्रेता की स्वअर्जित सम्पति है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत कृषि भूमि वसीयतकर्ता की स्वअर्जित सम्पति है। जिसके संबंध में उन्हे वसीयत करने के पूर्ण अधिकार प्राप्त है। जहां तक वसीयत जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रदर्श A-6 दिनांक 31.10.2017 के रूप में मौजूद है, की वैधता का प्रश्न है वह सिविल न्यायालय के क्षैत्राधिकार का प्रश्न है। राजस्व न्यायालय द्वारा वसीयत की वैधता का परीक्षण नही किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वसीयत के गवाहान द्वारा अपने बयानो में वसीयत को मृतक कानाराम द्वारा पूर्ण होश हवास में तहरीर कर हस्ताक्षर किया जाना कथन किया गया है। ऐसी स्थिति में वसीयत के वैध होने की धारणा की जायेगी जब तक कि सक्षम न्यायालय द्वारा उसे अवैध घोषित नही कर दिया जाये। अप्रार्थीगण/रेस्पोडेंटस द्वारा भी इस आशय का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है कि उनके द्वारा उक्त दस्तावेज वसीयतनामा की वैधता को सक्षम न्यायालय में कोई चुनौति दी गई हो। इस प्रकार मात्र अप्रार्थीगण/रेस्पोडेंट्स के कथन के आधार पर वसीयतनामा को अवैध करार नही दिया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण की सहमति को सही माने जाने की स्थिति में भी हकत्याग के विकल्प मौजूद होना अंकित कर समस्त वारिसो के नाम नामान्तकरण दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है जो उचित नही है। खातेदार कृषक द्वारा अपनी स्वअर्जित कृषि भूमि को निर्वसीयती छोड जाने पर ही विधिक वारिसान के नाम नामान्तरण दर्ज किया जा सकता है। वसीयत करने की स्थिति में वसीयत के अनुसार ही नामान्तकरण तस्दीक किया जाना विधिक बाध्यता हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश जारी किये जाने में विधिक विवेक का सही इस्तेमाल नही किया गया है तथा उक्त आदेश विधिक प्रावधानो के विपरीत होने से बहाल रखे जाने योग्य नही है तथा अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट् स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.06.2019 को निरस्त किया जाता है तथा प्रश्नगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 266/1 व 276/1 हाल खसरा नम्बर 468, 469 व 471 रकबा 2.02 है0 वाके ग्राम पीथमपुरी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर का नामान्तकरण मुताबिक वसीयत करतारसिंह पुत्र कानाराम (अपीलांट) के हक में तस्दीक किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

10. अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो

(सेवा राम स्वामी)
अति.सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

11. निर्णय आज दिनांक 24.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सेवा राम स्वामी)
अति.सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner